



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26842-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 1094 वर्ष 2026

कैलाश नाथ पाल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अभिषेक सिंह, राजेश कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. दोबारा पुकारने के बाद भी याचिकाकर्ता की ओर से इस रिट याचिका पर जोर देने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि, राज्य की ओर से विद्वान एजीए उपस्थित हैं।

2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जो कि मामले के प्रथम सूचनादाता हैं, जिसे निम्नलिखित राहतों के लिए प्रस्तुत किया गया है:-

"(i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो प्रत्यर्थियों को थाना लोहता, जिला कमिश्नरेट वाराणसी में बी.एन.एस. 2023 की धारा 80, 85 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के तहत दर्ज एफआईआर दिनांक 11.09.2025, मुकदमा अपराध संख्या 259 वर्ष 2025 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही/उचित विवेचना करने का निर्देश दे।

(ii) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे।

(iii) याचिकाकर्ता के पक्ष में रिट याचिका का खर्च प्रदान करें।"

3. शुरुआत में ही, विद्वान एजीए ने अवगत कराया कि वर्तमान मामले में विवेचना पहले ही पूरी हो चुकी है और प्रत्यर्थी संख्या 5 से 8 के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा चुकी है, और इस प्रकार वर्तमान रिट याचिका अब निष्प्रभावी हो गई है।

4. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका निष्प्रभावी हो जाने के कारण खारिज की जाती है।

6 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"